UPSB010024432026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र
पीठासीनः गोविन्द मोहन (एच0जे0एस0),(जे0ओ0 कोड नं0–2687),
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1073/2026

सलीम पुत्र अजीमुल्ला अली, निवासी सरकारी हास्पिटल के पीछे, राजगढ़, थाना राजगढ़, जिला मीरजापुर

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मुकदमा अपराध संख्या–421/2026
धारा–8/20/27ए/29/60 एन.डी.पी.एस.एक्ट,
थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र

08.06.2026:–

1. आवेदक/अभियुक्त सलीम की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध हैं। जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय में आवेदक की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि दिनांक 19.05.2026 को उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी कस्वा राबर्ट्सगंज मय हमराह मय वाहन सरकारी जीप संख्या UP 64G0313 के थाना हाजा से रवाना होकर रात्रि गश्त के दौरान चुर्क मोड़ से पहले खड़े होकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग में मौजूद था कि उसी समय उ0नि0 विनोद कुमार यादव चौकी प्रभारी चुर्क थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति करते हुए आये। उसी समय मुखबीर खास ने बताया कि दो व्यक्ति नई बस्ती उरमौरा में एक कमरा किराये पर लेकर रहते हैं और नशीले पदार्थों की कहीं ले जाकर बिक्री करते हैं इसी समय निकलते हैं जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर विश्वास कर मौके पर स्वतंत्र गवाह लेने की कोशिश की गई किंतु रात्रि का समय होने के कारण कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों की फ्लैश लाइट बुझाकर बहिकमत अमली पुलिस की मौजूदगी छिपाते हुए मय मुखबिर खास मौके पर पहुंचे कि कुछ दूर पहले ही मुखबीर खास द्वारा सामने से आती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दो व्यकियों की तरफ इशारा कर बताया कि वही मो० सा० है, जिस पर 02 व्यकि बैठकर रहे है, बताते हुए हट बढ़ गया। अचानक पुलिस वालों को देखकर मो०सा० सवार मो०सा० मोड़ने का प्रयास करने लगे तो पुलिस वाले एकबारगी दबिश देते हुए घेरघार कर मो० सा० को रोककर उस बैठे दोनों व्यक्तियों को बगैर भागने का मौका दिये समय करीब 01.49 बजे 02 व्यक्तियों को पकड लिये। पकड़े गये व्यकियों से नाम पता पूछते हुए घबराकर भागने का कारण रण पूछा गया तो मो०सा० चालक ने अपना नाम अमित सोनकर पुत्र सन्तू लाल सोनकर निवासी राजगढ़ थाना राजगढ़ जिला मिर्जापुर उम्र–21 वर्ष व मो0सा0 पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सलीम पुत्र अजीमुल्ला अली नि० सरकारी हास्पिटल के पीछे राजगढ़, थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर उम्र 19 वर्ष बताये तथा यह भी बताए कि साहब उनके पास बैग में गांजा है, जिसे वे लोग राजगढ़ ले जाकर बेचने के फिराक में थे। पकड़े गए सभी व्यक्तियों को बताया गया कि तुम लोगों की गाड़ी पर नाजायज मादक पदार्थ गांजा है इसलिए तुम लोगों का यह अधिकार है कि तुम लोगों की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी चाहिए। क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र श्री रणधीर कुमार मिश्रा के सीयूजी नम्बर 9415076920 पर सम्पर्क कर गाँजा होने की सूचना के संम्बन्ध में अवगत कराया गया तो बताये कि बाहर है। इस पर पकड़े गये व्यक्तियों से अन्य किसी मजिस्ट्रेट से तलाशी लिवाने हेतु कहा गया तो पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा कहा गया कि

किसी को न बुलाये, आप लोग पकड़ ही लिये है तो आप ही लोग तलाशी ले लिजिये, इस पर सहमति पत्र तैयार कर हम पुलिस वाले आपस में एक दूसरे की तलाशी लेकर उ0नि0 विनोद कुमार यादव के मोबाईल से ई साक्ष्य ऐप से आडियो वीडियो सहित जामा तलाशी ली गई तो दोनों व्यक्तियों के बीच में मो0सा0 पर रखे काले बैग नाजायज गांजा व 19280 रूपये बरामद हुआ। वाहन मो0सा0 पर रखे काले रंग के बैग में कुल 01 बण्डल गाँजा मिला वण्डल को जो पूर्व से फटा हुआ था जिसको खोलकर, देख, सूघ सुंघाकर भौतिक सत्यापन किया गया तो प्रथम दृष्टया अंतर्वस्तु मादक पदार्थ गांजा पाया गया और हे0का0 चालक मनीष कुमार से इलेक्ट्रनिक तराजू मंगाकर वजन किया गया तो वजन करीब 01 किलोग्राम पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर एक स्वर में दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि पास में ही उन लोगों का एक कमरा है, जहां पर और भी मात्रा में गांजा रखे है. जहाँ से उन लोगों द्वारा निकाल कर ले जाकर बेचा जाता है। जिसकी चाभी तलाशी में मिली है। अभियुक्तगण को साथ लेकर थोड़ी दूर पास में स्थित मकान के पास पहुंचे तो अभियुकगण से ताला खोलवाकर देखा गया तो 01 सफेद रंग की बोरी में कुल–21 बण्डल गांजा बरामद हुआ, जिसको खोलकर, देख, सूघ सुंघाकर भौतिक सत्यापन किया गया तो प्रथम दृष्टया अंतर्वस्तु मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिसका मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू से वजन किया गया तो बोरी व रैपर सहित 21 किलो 780 ग्राम पाया गया। बरामद बण्डलों को चाकू व ब्लेड की सहायता से फाड़कर चेक करते हुए खोल–खोल कर उसी बोरी में रखकर वजन किया गया तो पन्नी व बोरी सहित पहली बोरी में 22.780 किलोग्राम नाजायज गांजा पाया गया। बरामद शुदा गांजा व गांजा बिक्री का पैसा 19280 रूपये मौके पर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। जिसके विषय में विस्तृत पूछताछ अमित सोनकर द्वारा बताया जा रहा है कि संदीप सोनकर नि० राजगढ़ थाना राजगढ़ मिर्जापुर द्वारा पैसा लगाकर मगांया जाता है, जिसे वे लोग बेचते है। वह व सन्दीप पूर्व में गांजा बेचने के चक्कर में अलग अलग जेल जा चुके है, जिससे राजगढ़ में काफी बदनामी हो चुकी है, इसलिये यहाँ पर किराये पर कमरा लेकर यही पर गांजा ले आकर रखते है, और थोड़ा थोड़ा ले जाकर राजगढ़ व आस पास के क्षेत्रों में बेचा जाता है। उसी गांजा बिक्री का पैसा बैग में मिला है। पकडे गये व्यक्तियों का यह कार्य अन्तर्गत धारा– 8/20/27/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस में लेते हुए बरामद माल को कब्जा पुलिस में लिया गया, जिसे मौके पर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामद मो०सा० उपरोक्त के कोई कागजात न होने के कारण अन्तर्गत धारा 60 एनडीपीएस एक्ट में कब्जा पुलिस में लिया गया। मौके पर जनता के कुछ राहगीर आते जाते पुलिस की कार्यवाही को देखते हुए आये, जिनसे गवाही के लिए कहा गया तो पुलिस व कचहरी के मामले में न पड़ने का हवाला देकर बिना नाम पता बताये चले गये। दौरान गिरफ्तारी माननीय मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों व एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित प्रावधानों का पालन किया गया। फर्द नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।

3. जमानत हेतु आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उसके कब्जे से कोई मादक पदार्थ ही बरामद हुआ है। वह राजगढ़ बाजार में संदीप सोनकर की दुकान पर नौकरी कर जीवन यापन करता है। उसे दिनांक 17.05.2026 संदीप सोनकर की दुकान से पकड़ कर थाना लायी और उसकी अमित सोनकर के साथ गिरफ्तारी व नाजायज गांजा की बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया गया है। वह दिनांक 19.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के साथ एक अन्य अभियुक्त पकड़ा गया था, गिरफ्तारी स्थल आवेदक/अभियुक्त के साथ अन्य अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से एक किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, बादहू आवेदक/अभियुक्तगण के बयान के आधार पर ही उनके किराये के कमरे से 21 किलो 780 ग्राम नाजायज गांजा की बरामदगी हुई है। आवेदक/अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद गांजा की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। आवेदक पर आक्षेपित अपराध को गम्भीर प्रकृति का व अजमानतीय है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उपलब्ध केस डायरी एवं संलग्न प्रपत्रों से दर्शित है कि दिनांक 21.04.2026 को पुलिस बल द्वारा आवेदक/अभियुक्त व एक सह अभियुक्त को मोटर साइकिल के साथ पकड़े जाने व पकड़े गये स्थल से मोटर साइकिल पर रखे बैग से 01 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद होने, तदोपरांत आवेदक/अभियुक्त के बयान के आधार पर उनके किराये के कमरे से पुलिस के द्वारा 21 किलो 780 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किये जाने का अभियोग है। अभियुक्त से कथित बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से भी अधिक की है। अभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ **भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 527 (अ), तारीख 16 जुलाई 1996 (स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7क) और खण्ड (23क)** के अनुसार गांजा की वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम निर्धारित की गयी है। जबकि अभियुक्त के कब्जे से बरामद उक्त मादक पदार्थ की मात्रा 22 किलो 780 ग्राम है। इसी प्रकार **भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के नोटिफिकेशन सं० एस०ओ० 1055 (ई.) दिनांक 19.10.2001 संबंधित स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सारणी में प्रविष्टि संख्या 56 में उल्लिखित वाणिज्यिक मात्रा (20 किलोग्राम) से भी अधिक है।**

उल्लेखनीय है कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा–37 के अनुसार धारा–19, धारा–24 या धारा–27क के अधीन अपराधों के लिए तथा वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब–(I) लोक अभियोजक को ऐसी नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है तथा (II) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का या समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

अतः प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व बरामदशुदा अवैध माल की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किए इस न्यायालय के सुविचारित मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

–:आदेशः–

आवेदक/अभियुक्त सलीम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–421/2026, धारा–8/20/27ए/29/60 एन.डी.पी.एस.एक्ट, थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त **(Reject)** किया जाता है।

(गोविन्द मोहन)

दिनॉक–08.06.2026

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र